

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
हुकम की ता
में जारी हु

10/7/19

पत्रावली पेश। प्रकरण का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली कें ग्राम बीचडी पटवार मण्डल चेता के खाता संख्या 120 खसरा संख्या 160 रकबा 8 बीस्वा जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 जमाबन्दी में अंकित खातेदारान का हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में सही दर्ज नहीं है जिन्हे D.L.R.M.P प्रोजेक्ट के अन्तर्गत हिस्से को दुरस्त किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जाना है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार दुरस्ती आदेश प्रदान करने की प्रार्थना प्रार्थी द्वारा की गई है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बाद सतुष्टी के तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार हिस्से सही अंकित किये जाने के आदेश दिये जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार भूमि खाता संख्या 120 खसरा संख्या 160 रकबा 8 बीस्वा जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 लालचन्द, बद्री, चेताराम पि0 जोधा, धापू बेवा जोधा हिस्सा 1/24, छीतर, गोरधन, फोरू, मुकेश पि0 रामदेवा, गोपाली, पुष्पा, नर्बदा पुत्रियां रामदेवा, उदी बेवा रामदेवा हिस्सा 1/24, रामसुख, रामधन, गोपाल पि0 घीस्या, हीरा पुत्री घीस्या, घीसी बेवा घीस्या हिस्सा 1/24, मोहन, शोजी पि0 नारायण, खानी पुत्री नारायण, घीसी बेवा नारायण हिस्सा 1/24, पन्ना पि0 माधो हिस्सा 1/8, डाली पुत्री माधो हिस्सा 1/24, पौखर, शंकर पि0 नारायण हिस्सा 1/9, फूलचंद पि0 नोला हिस्सा 1/18, नन्दा, मंगला पि0 औकार हिस्सा 1/4 हि.ब., सरवण, भागीरथ पि0 गोपी हिस्सा 1/6 हि.ब., छीतर पि0 भागा हिस्सा 1/12 कोम माली सा0देह0खाते0 रहेगा। राजस्व रिकोर्ड में उक्तानुसार हिस्सों का अंकन किये

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जाने का आदेश दिया जाता है। वाद विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>पक्षकारान राहत प्राप्त कर सकेंगे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p><i>hdf</i> उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)</p>	

